रिट की क्षेत्राधिकारिता

20वीं शताब्दी में नगरों के वृहत् औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप अधिक संख्या में लोग शहरों में रहने लगे जिसके कारण आवास बीमारी, शिक्षा, जीवन की सुरक्षा आदि समस्यायें उत्पन्न हो गयी। लोकहित के लिए प्रशासन को इन कार्यों में हस्तक्षेप करना पड़ता है, इसी कारण प्रशासनिक अधिकारियों को न्यायिक शक्तियों भी सौंप दी गई।

सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के प्रवर्तन

- अनुच्छेद 32(1) के अन्तर्गत मूलाधिकारों के प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली जा सकती है। अनुच्छेद32(1) स्वमेव एक मूलाधिकार है। अनुच्छेद 32(1) सर्वोच्च न्यायालय पर मूलाधिकारों के संरक्षण का संवैधानिक दायित्व आरोपित करता है। अनुच्छेद 32(2) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, मूलाधिकारों के प्रवर्तन हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पृच्छा जैसे लेखजारी कर सकता है।''अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा तथा उसका ह्रदय है।''
- अनुच्छेद 226(1) के अंतर्गत उच्च न्यायालय, मूलाधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट या किसी अन्य प्रयोजन हेतु रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226(1) के अंतर्गत उच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकारिता अनुच्छेद 32(2) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकारिता से व्यापक है, क्योंकि उच्च न्यायालय मूलाधिकारों के प्रवर्तन के साथ–साथ किसी अन्य प्रयोजन हेतु भी लेख जारी कर सकता है।

बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख

- बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की उत्पत्ति इग्लैण्ड में हुई। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है–''अपने शरीर को रखने का अधिकार'' यह रिट तभी उपलब्ध होता है जब किसी व्यक्ति को बिना किसी न्यायोचित कारण के बंदी बनाया जाता है। यह रिट उस स्थिति में नहीं जारी की जाती जब कोई व्यक्ति किसी न्यायिक विनिश्चय के परिणाम स्वरूप बंदी बनाया जाता है अथवा निरूद्ध किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए प्रार्थना पत्र बंदी स्वयं दे सकता है अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बनायी गई शर्तो एवं नियमों के अनुसार बंदी किये गये व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी दे सकता है।

परमादेश रिट

परमादेश एक न्यायिक उपचार है। यह रिट लोक अधिकारी शासन अवर न्यायालय परिषद निगम अथवा अन्य प्रशासनिक अधिकारी को विधि द्वारा आरोपित किसी विशेष कर्तव्य को करने के लिए जारी किया जाता है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति को अपने पद से सम्बद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य किया जाता है।

इस रिट का उद्देश्य न्याय पाने से है। इसलिए इसे न्याय की रिट कहा जाता है। इस प्रकार यह रिट उस न्यायाधिकरणों को क्रियाशील करती है जो अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से मुँह मोड़ते है। परमादेश रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को छोड़कर अन्य सभी रिटों से अंतर्वलित है। परमादेश की रिट अर्द्धसरकारी या प्राईवेट निगमित संस्थाओं के विरूद्ध भी जारी की जा सकती है। यह रिट निम्नलिखित के विरूद्ध जारी नहीं की जा सकती है–

1. भारत के राष्ट्रपति या राज्यपालों के विरूद्ध।
2. संवैधानिक उपबन्धों के प्रतिकूल विधि निर्माण पर विचार करने से रोकने हेतु विधान माण्डल के विरूद्ध।
3. अवर या अनुसचिवीय अधिकारी के विरूद्ध।
4. निजी व्यक्ति या निगमित निकाय के विरूद्ध।

परमादेश रिट निम्नलिखित निगमित निकाय के विरूद्ध

1. याची किसी विधिक अधिकार का धारक हो।
2. याची के विधिक अधिकारों का उल्लंघन केवल इस कारण हुआ है कि लोकाधिकारियों ने अपने अनुरूप कर्तव्यों को पूरा नहीं किया।
3. विपक्षी किसी विधिक तथा आज्ञापक लोक कर्तव्य के अधीन हो।

उत्प्रेषण रिट :– उत्प्रेषण एक शुद्धिकरण की प्रकृति की रिट है। यह एक आदेश के रूप में एक प्रवर न्यायाल द्वारा ऐसे अवर न्यायाधिकरण को जो व्यक्तियों के सिविल अधिकारों से सम्बन्धित निर्णय लेता है, जारी किया जाता है जिससे वह अपने यहॉ की कार्यवाहियों के अभिलेख उसके न्यायिक पुनरीक्षण के लिए भेजे और अधिकारिता सम्बन्धी दोष, प्रक्रिया त्रुटि होने की दशा में उसमें हस्तक्षेप करें।

प्रतिषेध रिटः प्रतिषेध प्रवर न्यायालय द्वारा भारत में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा एक आदेश है जो अवर न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को इस आशय से जारी किया जाता है कि वह कुछ ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाय जो उसे नहीं करना चाहिये। यह अधिकारों को ऐसी अधिकारिता को ग्रहण करने से रोकता है जो वह नहीं धारण करता है। प्राधिकारी जिसके विरूद्ध प्रतिषेध की रिट जारी की जाती है एक न्यायिक अथवा न्यायिक कल्प प्राधिकारी होना चाहिए। प्रतिषेध की रिट तभी जारी की जाती है, जब तक कि अधीनस्थ न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण ने निर्णय नहीं दिया हो। यदि निर्णय दे दिया है तो उस स्थिति में उत्प्रेषण की रिट जारी की जायेगी न कि प्रतिषेध की।

अधिकार पृच्छा रिट : अधिकार पृच्छा का शाब्दिक अर्थ है ''किस अधिकार द्वारा''। जब कोई व्यक्ति अवैध तरीके से कोई पद हड़प लेता है तो उसे उस पद पर बने रहने से रोकने के लिए अधिकार पृच्छा की रिट जारी की जाती है। इस रिट का उपचार अधिकार रूप से नहीं प्राप्त किया जा सकता। यह न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है कि वह रिट मंजूर करेगा या नहीं और यह मामले की परिस्थितियों पर आधारित है।

स्वतंत्र न्यायपालिका, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि क्षेत्रों में भारत में काफी प्रगति हुई है। लेकिन सामाजिक न्याय व प्रशासनिक जवाब देयता तथा प्रशासन के प्रभावशीलता के क्षेत्र में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है तभी जाकर सुशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। यदि विकसित देशों की तुलना की जाये, तो भारत में सुशासन की स्थिति निम्न दिखाई देती है।

1. प्रशासनिक शक्तियों के दुरूपयोग पर उपचार जैसे रिट उपचार एवं इनका अध्ययन।
2. नैसर्गिक न्याय
3. केन्द्र एंव राज्य का संविदा उपकृत्य संबंधी दायित्व।

4- लोक निगम।